न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा)

<u>आप. प्रक. क.—991 / 2014</u> संस्थित दिनांक—29.10.2014 फा. नं.—234503008932014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,

— — — <u>अभियोजन</u>

जिला–बालाघाट (म.प्र.)

// <u>विरुद</u> //

- 1.बसंत पिता लक्ष्मण तिल्लासी, उम्र–31 वर्ष, जाति कलार,
- 2.लक्ष्मण पिता धनीराम तिल्लासी, उम्र-68 वर्ष, जाति कलार,
- 3.कमलाबाई पति लक्ष्मण तिल्लासी, उम्र—55 वर्ष, जाति कलार, तीनों निवासी—ग्राम रजमा, थाना बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 4. सेवकली पित खेमचन्द ढोढरे, उम्र—33 वर्ष, जाित कलार निवासी ग्राम रजमा, थाना—बैहर, जिला बालाघाट म.प्र. हाल मुकाम—वार्ड नं—4 हिमालय मोहल्ला वर्धा, थाना वर्धा (महाराष्ट्र)

४— — —<u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u>//

(आज दिनांक-04 / 10 / 2017 को घोषित)

01— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3/4 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.05.2009 से दिनांक—1.10.2014 तक, ग्राम रजमा थाना बैहर के अंतर्गत फरियादिया राजकुमारी के पित एवं पित के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादिया राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर, फरियादिया राजकुमारी से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में 50,000/—रुपये की मांग की।

- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.14 को 02-पुलिस थाना बैहर में फरियादिया राजकुमारी ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह दिनांक-14.05.2009 को ग्राम रजमा के बसंत तिल्लासी के साथ जाति–रीति रिवाज अनुसार हुआ था। विवाह में फरियादिया के माता–पिता ने उनकी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। विवाह के पश्चात् से फरियादिया का पति एवं सास-सस्र फरियादिया को कम दहेज लाई है, कहकर उसे दहेज में 50,000 / -रूपये और लाने के लिए कहने लगे, तब फरियादिया ने कहा कि उसके माता-पिता गरीब है, कहां से इतने पैसे देंगे। जिस पर फरियादिया का पति उसे मारपीट करने लगा और उसे घर से भाग जाने के लिए कहने लगा। फरियादिया की नंद सेवकलीबाई, ससुर लक्ष्मण तथा सास कमलाबाई, फरियादिया से कहने लगे कि जब तक दहेज नहीं लाएगी, तब तक उनके घर पर नहीं आना। इसके पश्चात् फरियादिया उसके मायके कुलुमखारी आकर रहने लगी। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहो के कथनों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा-498ए, 34 भा.द.वि., 3, 4 दहेज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में संपूण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र कृ.161 / 14 दिनांक-29.10.14 तैयार किया कर विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।
- **03** अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण कमांक 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार किया है।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक—1.10.2014 तक, ग्राम रजमा थाना बैहर के अंतर्गत फरियादिया राजकुमारी के पित एवं पित के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादिया राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

02. उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया राजकुमारी से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में 50,000 / – रुपये की मांग की ?

विचारणीय प्रश्न क.01 एवं 02 की विवेचना तथा निष्कर्ष

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आषय से विचारणीय प्रश्न कं. 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

फरियादी / आहत राजकुमारी अ.सा.1 ने कहा कि वह आरोपीगण को 05-जानती है। आरोपी बसंत उसका पति है तथा शेष आरोपीगण उसके पति के रिश्तेदार है। आरोपी बसंत से उसका विवाह वर्ष 2009 में हुआ था। वर्तमान में वह अपने मायके में निवास करती है और आरोपीगण से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। आरोपी बसंत से उसका मौखिक विवाद हुआ था, जिसके पशचत वह अपनी मर्जी से अलग निवास करती है। उसे आरोपीगण से कोई शिकायत नहीं है। उसने घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और ना ही पुलिस को बयान दिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके विवाह में उसके घरवालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था, परंतु उसके पति उसे कम दहेज की बात कहकर उससे अधिक दहेज की मांग करता था, दिनांक-29.04. 2013 को उसके पति ने दहेज में 50 हजार रूपये की मांग की थी, परंतु उसके द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर और उसके पित ने उससे मारपीट कर घर से निकल जाने के लिए कहा था और उसकी नंद सेवकली, ससुर लक्ष्मण तथा सास कमलाबाई ने भी दहेज लेकर नहीं आने पर घर में घुसने से मना किया था, उसने घटना के संबंध में अपने माता-पिता एवं चाचा यशवंत को बताया था। उसने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

- 06— फरियादी / आहत राजकुमारी अ.सा.1 ने यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस थाना गढ़ी में प्रदर्श पी—2 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—3 बनाया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि मौकानक्शा प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसे कोई शिकायत नहीं है तथा वह अपनी ईच्छा अनुसार आपसी मतभेदों के कारण उसके मायके में निवासरत् है। वह आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। उक्त साक्षी परिवादी होकर घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराधों के संबंध में प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।
- 07— फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया राजकुमारी के पित एवं पित के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादिया राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर, फरियादिया राजकुमारी से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में 50,000 / —की मांग की। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए / 34 एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- 08- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 09— प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट

WILHER A PRESIDENT A PRESIDENT A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T